

झारखंड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

राँची, दिनांक 24/12/2018 ई०।

संख्या: 12/प्रो०-09-04/2015का०...9353...../विभागीय अधिसूचना संख्या-8064
दिनांक-31.10.2018 के द्वारा वरीय प्रधान आप्त सचिव के पद पर प्रोन्नत झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री राम सुरेश शर्मा, नवप्रोन्नत वरीय प्रधान आप्त सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची को कार्यहित में स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक ग्रामीण विकास विभाग(ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची में प्रधान आप्त सचिव के रिक्त पद को उनके पदस्थापन अवधि तक वरीय प्रधान आप्त सचिव के रूप में उत्क्रमित करते हुए पदस्थापित किया जाता है।

संख्या: 12/प्रो०-09-04/2015का०...9354...../विभागीय अधिसूचना संख्या-8066
दिनांक-31.10.2018 के द्वारा वरीय प्रधान आप्त सचिव के पद पर प्रोन्नत झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री अरुण कुमार सिन्हा, नवप्रोन्नत वरीय प्रधान आप्त सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची को कार्यहित में अगले आदेश तक स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची में उनके द्वारा धारित प्रधान आप्त सचिव के पद को उनके पदस्थापन अवधि तक वरीय प्रधान आप्त सचिव के पद के रूप में उत्क्रमित करते हुए पदस्थापित किया जाता है।

संख्या: 12/प्रो०-09-04/2015 का०...9355...../विभागीय अधिसूचना संख्या-8067
दिनांक-31.10.2018 के द्वारा वरीय प्रधान आप्त सचिव के पद पर प्रोन्नत झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री सर्वेश कुमार, नवप्रोन्नत वरीय प्रधान आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची को कार्यहित में स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची में वरीय प्रधान आप्त सचिव के रिक्त पद के विरुद्ध पदस्थापित किया जाता है।


संख्या: 12/प्रो०-09-04/2015का०...9356...../विभागीय अधिसूचना संख्या-8351
दिनांक-08.11.2018 के द्वारा वरीय प्रधान आप्त सचिव के पद पर प्रोन्नत झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री सत्यानन्द सिन्हा, नवप्रोन्नत वरीय प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग(ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को कार्यहित में स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची में प्रधान आप्त सचिव के रिक्त पद को उनके पदस्थापन अवधि तक वरीय प्रधान आप्त सचिव के रूप में उत्क्रमित करते हुए पदस्थापित किया जाता है।

संख्या: 12/प्रो०-09-04/2015 का०...9357...../झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के श्री ललन कुमार केतु, प्रधान आप्त सचिव, झारखण्ड राज्य सूचना आयोग, राँची, को कार्यहित में स्थानांतरित करते हुए उन्हें अगले आदेश तक भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची में प्रधान आप्त सचिव के रिक्त पद के विरुद्ध पदस्थापित किया जाता है।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

3. सभी नवप्रोन्नत वरीय प्रधान आप्त सचिवों को पदभार ग्रहण की तिथि से वित्तीय लाभ अनुमान्य होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से


24/12/18
(संजय कुमार दूबे)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक- 12/प्रो0-09-04/2015 का0.....9357...../ राँची, दिनांक-24/12/2018 ई0।

प्रतिलिपि:- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सदस्य, राजस्व पर्षद, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले, झारखण्ड, राँची/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग(ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची/सचिव, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, झारखण्ड राज्य सूचना आयोग, राँची/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा कोषागार, डोरण्डा तथा सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अ.ल.
24/12/18

सरकार के अवर सचिव।